भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :1632

उत्तर देने की तारीख :02.03.2020

तकनीकी शिक्षा

†1632 **श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:**

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और पर्वतीय राज्यों में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के तीसरे चरण की क्या उपलब्धि है;

(ख) उक्त राज्यों के छात्रों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क), (ग) और (घ): टीईक्यूआईपी-III का उद्देश्य 19 फ़ोकस वाले राज्यों के इंजीनियरिंग संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार करना है जिसमें 7 निम्न आय वाले राज्य (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश), 3 पर्वतीय राज्य (हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड), 8 पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी-III) के तीसरे चरण की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	राज्य	कार्यरत टीईक्यूआईपी संकाय	प्रत्यायन (कार्यक्रम मान्यता प्राप्त / उपलब्ध कार्यक्रम)	एक्जिट परीक्षा के लिए प्रशिक्षण (प्रशिक्षित छात्र / कुल)	सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं (अनुदानों/परियोजनाओं की संख्या/ रुपए करोड़ में)	डिजिटल बोर्ड (प्रदर्शित)	प्रदत्त/वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)	लाभार्थी छात्रों की संख्या
1	**उत्तर पूर्वी राज्य**	95	14/26 (53%)	4030/7506 (54%)	26/ Rs. 3.44 Cr.	26	246 Cr.	41111
2	**पर्वतीय क्षेत्र**	169	19/66 (29%)	7564/12364 (61%)	45/Rs. 5.39 Cr.	72	234.25 Cr.	45164
3	**बिहार**	213	24/31 (77%)	3397/4636 (73%)	48/Rs.5.45 Cr.	74	96.20 Cr.	52486

(ख): टीईक्यूआईपी III चयनित एआईसीटीई के अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम
ii. आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र इंटर्नशिप
iii. उद्योग का दौरा
iv. एक्जिट परीक्षा प्रशिक्षण
v. गेट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।

******